

पक्षकारान/बकुलाय उपस्थित ।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत सिविल का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व लोक अदालत के सामर्थ्य विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का समाप्त कराने की भावना के तहत पक्षकारों को मध्यम व निम्न मूल्य के अधिकाधिक अथवा मेरिट के आधार पर निःशुल्क सुनवाई किया जायेगा ।

अतः इस पञ्चायती से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पञ्चायती राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र.....पञ्चायती पर आयंदा दिनांक. २१/५/१८..... को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर (पाली)

२१/५/१८

पञ्चायती राजस्व लोक अदालत केम्प हुआ  
में पेश हुई। लोक अदालत व सुव्याचार की  
भावना के अन्तर्गत से रखकर आवागमन हेतु  
रास्ता दिखे जाने के आदेश परवारी, भूअधिकारी  
एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर  
दिखे जाते हैं। निम्न आलगा से लिखा जाकर  
शाहिल पञ्चायती दिया गया। पञ्चायती के हाल  
सुधार ले कर दारीवल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
सुमेरपुर, जिला-पाली